

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक) अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

*Recommended for
Approval.*

(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणयों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)

दिनांक- 29.6.2017
स्थान.....

हरनक्षर
वार्ड 08/संयोजक शिशुकुमार
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन संरक्षक/अधीनस्थ-1980
उ० प्र०, लखनऊ।